तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./719/2003/टोंक सरकार बनाम दुर्गा	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित –

श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 20.11.2025

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 12–12–2002 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, देवली भूमिधारी द्वारा यह प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण अप्रार्थी के हक में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 116 बाबत आराजी खसरा नं0 45 रकबा 3.40 है0 भूमि वाके ग्राम साण्डला जिला टोंक को निरस्त कराने एवं इन्द्राजात विवादित आराजीयात को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज करने के उपरांत बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 12–12–2002 से यह रेफरेन्स मंडल के समक्ष पेश किया है।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने रेफरेंस में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस की है कि अप्रार्थी के पक्ष में नामांतकरण खोलने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं था। तहसीलदार, देवली द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। यह कार्यवाही केवल मात्र बिसलपुर परियोजना के तहत डूब में आ जाने के कारण मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से की गयी है। अतः उक्त आराजी की खातेदारी तहसीलदार द्वारा नहीं दिए जा सकने से रेफरेंस स्वीकार किया जावे।

हमने उपराजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार देवली भूमिधारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 45 रकबा 3.40 है0 के बारे में स्वीकृत नामांकतरण संख्या– 116 दिनांक 14–04–1991 को रद्द करने हेतु आवेदन पेश किया और विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा राजकीय अधिवक्ता को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./719/2003/टोंक सरकार बनाम दुर्गा	नम्बर व तारीख

सुनने के पश्चात् तहसीलदार, देवली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है

मौजूदा प्रकरण में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि तहसीलदारा देवली द्वारा सिवाय चक भूमि को जरिए नामांतकरण संख्या 116 दिनांक 14-04-1991 के माध्यम से स्वीकृत करते हुए अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए जबकि खातेदारी अधिकार प्रदान करने से पूर्व ही उक्त भूमि भू-आवाप्ति अधिनियम की धारा 04 का प्रकाशन दिनांक 30-11-1989 और धारा 06 का प्रकाशन दिनांक 25-10-1990 को हो चुका था और उक्त उद्घोषणा के पश्चात् उक्त भूमि धारा 16 में वर्णित भूमियों की श्रेणी में आ चुकी थी। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः-

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-

Not with standing anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(v) Land Comprised in gaedens owned and maintained by the state Goverment
(vi) Land acquired or held for a public purpose or a work of public utility;

विवादग्रस्त भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। अतः इस प्रकार की भूमियां न तो तहत किन्हीं व्यक्तियों को निजी आवंटन/नियमन की जा सकती है और ना ही ऐसी भूमि में निजी खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। अतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी 45 रकबा 3.40 है0 भूमि वाके ग्राम साण्डला जिला टोंक से अप्रार्थी के नामान्तरणकरण संख्या 116 दिनांक 14-04-1991 को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी के खाते में अंकित उक्त विवादग्रस्त आराजी को पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार अविलम्ब भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य